# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.12.2024 | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान<br>बनाम<br>रामस्वरूप व अन्य<br>किस्म मुकदमा : रेफरेन्स<br>मु0नं0 33/2018<br><br>राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी रामस्वरूप पुत्र नारायण लाल बैरवा की मृत्यु हो चुकी है। पूर्व में रेफरेन्स प्रकरण संख्या 87/2015 उनवानी सरकार बनाम रामस्वरूप वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2018 के अनुसार प्रकरण तहसीलदार दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया था कि अप्रार्थीगण की मृत्यु या अन्य कारण से प्रकरण में कोई परिवर्तन हो तो रेफरेन्स नये सिरे से तैयार कर अपेक्षित दस्तावेजात सहित न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भी रेफरेन्स प्रकरण से सम्बन्धित भूमि खसरा नम्बर 1179 रकबा 1.32 है. ग्राम बासना जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में रामस्वरूप, रामलाल, जगदीश, रामकेश पि. नारायण लाल बैरवा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं सभी खातेदार जीवित होना पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अंकित किया गया है। जबकि अप्रार्थी रामस्वरूप की तलवी हेतु प्रेषित नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ है। नोटिस पर अंकित अनुसार अप्रार्थी फौत हो चुका है। किन्तु तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा अप्रार्थी रामस्वरूप के कायम मुकाम की सूचना अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है ना ही संशोधित टाइटल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध रेफरेन्स चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।<br>अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाकर प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन कर मृतक अप्रार्थी रामस्वरूप पुत्र नारायण लाल बैरवा के वारिसान की जांच कर एवं अन्य अप्रार्थीगण के सम्बन्ध में भी आवश्यक जांच कर संशोधित टाइटल, तलबी हेतु पूर्ण पता एवं रेफरेन्स पेश किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स नये सिरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।<br><br>( सुमित्रा पारीक)<br>अति. जिला कलक्टर ,दौसा<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Sumitra Pareek<br>Date: 2025.02.03 11:12:04 IST<br>Reason: SelfAttested | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official